न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीएसएम.नं. 2025/28
मुकदमा नम्बर 09/2025 दायर दिनांक–03.01.2025

1. शारदा देवी पत्नी शीशराम जाति जाट निवासी ग्राम राणासर, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं
2. शीशराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी ग्राम राणासर, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं

...........आवेदकगण

बनाम

1. इन्द्रसिंह पुत्र रामदेव जाति जाट निवासी ग्राम राणासर,तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनूं (राज0)
2. चावली पत्नी रामदेव जाति जाट निवासी ग्राम राणासर,तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनूं (राज0)
3. धर्मवीर सिंह पुत्र रामदेव जाति जाट निवासी ग्राम राणासर,तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनूं (राज0)
4. प्रवेश पुत्र रामदेव जाति जाट निवासी ग्राम राणासर,तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनूं (राज0)
5. मिन्नू पुत्री रामेदव जाति जाट निवासी ग्राम राणासर,तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनूं (राज0)
6. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़
7. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा राणासर तह. नवलगढ

.........अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अं. धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वकील आवेदक–श्री प्रदीप कुमार झाझडिया
अनावेदकगण 1लगा. 5 व 7 – एक पक्षीय
अनावेदकगण 6 – पैरो. राज.

:–निर्णय–:

दिनांकः–13/05/2024

यह प्रा0 पत्र आवेदक द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955 को इस कदर पेश किया गया कि, राजस्व ग्राम राणासर में स्थित प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 512 रकबा 1.20 है0 में आने जाने के लिए ग्राम राणासर से बिन्जूसर सडक से अप्रार्थी सं. 1 लगा. 5 के खेत खसरा नं. 516 रकबा 0.31 है0,खसरा नं. 515 रकबा 1.05 है0 में से 15 फीट चौडा रास्ता कायम किया जावें। उक्त रास्ते को अभिलेख में गै.मु. सिवायचक रास्ता दर्ज किया जावे।

प्रा0 पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदकगण कि जारी की गई। अनावेदक सं. 1 लगा. 5 व 7 बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहे। अनावेदक सं. 06 कि और से पैरो. राज. उपस्थित। तहसीलदार नवलगढ़ से रिपोर्ट क्रमांक 244 दिनांक 23/04/2025 पेश हुई। जिसके अनुसार आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता नियरेस्ट व सोरटेस्ट है तथा आवेदक के पास अपनी जोत तक पहुँचने हेतु अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नही है। मुताबिक तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार खसरा नं. 512 में आने जाने के लिये खसरा नं. 516 में पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे बिन्दू ए से बी की लम्बाई 37 मीटर तथा चौडाई 4 मीटर तथा खसरा नं. 515 में पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे बिन्दू सं. बी से सी की लम्बाई 137 मीटर व चौडाई 4 मीटर बनती है।

बहस प्रा. पत्र एक पक्षीय पेश होने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट से जाहिर है कि आवेदक को अपनी कृषि जोत तक आने जाने के लिये रास्ते की परमआवश्यक्ता है तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है और तहसीलदार नवलगढ द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया रास्ता ही सबसे नजदीक रास्ता है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट 244 दिनांक 23/04/2025 से इत्तिफाक रखते हुये तथा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट 244 दिनांक 23/04/2025 तथा संलग्न नजरी नक्शे अनुसार खसरा नं. 512 में आने जाने के लिये खसरा नं. 516 में पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे बिन्दू ए से बी जिसकी लम्बाई 37 मीटर तथा चौडाई 4 मीटर तथा खसरा नं. 515 में पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे बिन्दू सं. बी से सी जिसकी लम्बाई 137 मीटर व चौडाई 4 मीटर है,भूमि का रास्ता सिवायचक गै.मु. रास्ता दर्ज कर, कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ते से प्रभावित भूमि ख.नं. 515 व 516 के खातेदार काश्तकारों को रास्ते से प्रभावित भूमि के लिये, डीएलसी दर की दोगुनी राशि उनके हिस्से अनुसार आवेदकगण से दिलाई जावे। अनावेदकगण द्वारा राशि प्राप्त नही करने पर राजकोष में अमानत मद में जमा करवाई जावें। **सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट कमांक /राजस्व/2025/244 दिनांक 23.04.2025 मय नक्शा –फर्द उक्त आदेश का भाग होगा।**

तहसीलदार नवलगढ, को आदेशित किया जाता है कि, मुताबिक आदेश रास्ते से प्रभावित भूमि को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 सिवायचक रास्ता दर्ज कर देवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 13/05/2025 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ, जिला–झुझुंनू

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

13/5/25

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार नवलगढ जिला–झुंझुनूं (राज.)

क्रमांक / राजस्व / 2025 / 244 दिनांक 23.04.25

प्रेषितः–

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
नवलगढ, जिला–झुंझुनूं।

Rev. OOV 25.4.25

विषयः–मुकदमा नंबर **09 / 2025** प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 251 (क)** उनवान प्रकरण **शारदा देवी बनाम इन्द्रसिंह** आदि प्रकरण की तथ्यात्मकरिपोर्ट भिजवाने बाबत

प्रसंगः– श्रीमान जी के पत्रांक / राजस्व / तहरीर / 25 / 21 दिनांक 10.01.2025।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि मुकदमा नंबर **09 / 2025** उनवानी प्रकरण **शारदा देवी बनाम इन्द्रसिंह** आदि में प्रश्नगत्त भूमि एवं रिकोर्ड की वस्तुस्थिति की मौका रिपोर्ट श्रीमानजी के आदेशिका की पालना में मौका रिपोर्ट **भू–अभिलेख निरीक्षक जेजूसर एवं पटवारी हल्का राणासर** से निर्धारित प्रारूप में प्राप्त ही गई, प्राप्त रिपोर्ट मूल ही श्रीमानजी की सेवामें आगामी कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

R 399 / 25.4.25

तहसीलदार नवलगढ

रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक जेजूसर

श्रीमान तहसीलदार महोदय, नवलगढ़

राजस्व/बू
15/4/25

विषय :- उनवानी प्रकरण शारदा देवी बनाम इन्द्रसिंह मु.न. 9/2025 अ.धा. 251 (क) में तथ्यात्मक रिपोर्ट बाबत् ।

महोदयजी,

उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ के 251(क) के प्रकरण में ग्राम राणासर में ख.न. 512 के खातेदार द्वारा रास्ते की मांग की गई। जिसकी बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार है—

(1) खातेदार को अपनी जोत तक पहुँचने के लिए रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है।

(2) प्रकरण में वर्णित भूमि का नजरी नक्शा निम्नानुसार है।

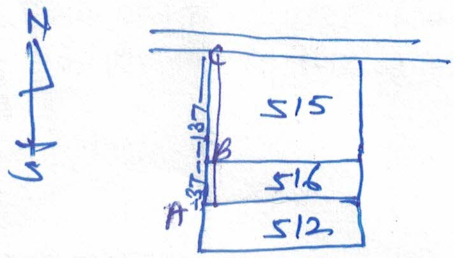

कुल = 174 मी. दूरी

बिन्दु सं. A से B की दूरी = 37 मी. × 4 m.

B से C की दूरी = 137 m. × 4 m.

(3) ख.न. 512 के अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

(4) काश्तकार द्वारा राणासर से जेजूसर जाने वाली सड़क से रास्ते की मांग की गई है जोकि खातेदार के निकटतम कटानी राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज रास्ता है ख.न. 512 में जाने के लिए उक्त सड़क से ख.न. 515 व 516 में से ही निकटतम दूरी है।

रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

5/3/2025
प.ह. राणासर

5/3/2025
ILR वृत जेजूसर